न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, भीलवाड़ा, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : पवन कुमार काला

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सिविल विविध प्रकरण संख्या 131/2022

CNR NO. RJBW 01-003063-2022

राजेन्द्र कुमार पारीक, पुत्र स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक, निवासी C-300, रामानुज कोट मंदिर के पास, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।

—**प्रार्थी**

बनाम

1. **श्रीमती चंदा देवी उर्फ चंदा देवी पारीक**, पत्नी श्री अशोक कुमार पारीक, निवासी पारीक डेयरी, माणिक्यनगर, भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
2. **स्वराज सॉल्ज प्राइवेट लिमिटेड**, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जुबैर खान, पुत्र मोहम्मद याकूब खान, पता- गुलिस्ता, बी-333, आर.के. कॉलोनी, भीलवाड़ा।
3. **अशोक कुमार पारीक**, पुत्र स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक, निवासी पारीक डेयरी, माणिक्यनगर, भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
4. **रवीन्द्र कुमार पारीक**, पुत्र स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक, निवासी C-301, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा।
5. **श्रीमती सरोज देवी पारीक**, पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, निवासी C-300, रामानुज कोट मंदिर के पास, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा।
6. **श्रीमती रेनू देवी पारीक**, पत्नी श्री रवीन्द्र कुमार पारीक, निवासी C-301, संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा।

—**अप्रार्थीगण**

अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश XXXIX **नियम** 1 **व** 2 **सिविल प्रक्रिया संहिता**

उपस्थिति–

1 श्री दीपक कोठारी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री रामनिवास गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, गैर प्रार्थीगण संख्या– 1 से 3 की ओर से

3 श्री अमित कोठारी, विद्वान अधिवक्ता, गैर प्रार्थीगण संख्या– 4 से 6 की ओर से

4 श्री दिनेश सिसोदिया, विद्वान अधिवक्ता, गैर प्रार्थी संख्या– 5की ओर से

आदेश

दिनांक 13.08.2026

1 प्रार्थी द्वारा मूल वाद के साथ–साथ **अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सिविल प्रक्रिया संहिता** के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक **27.07.2022** को माननीय जिला न्यायाधीश, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र अंतरण के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है तथा वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

तथ्यात्मक स्थिति–

2.1 संक्षेप में, प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने अभिवचन किये कि पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि आराजी संख्या 2302, जिसकी वर्तमान आराजी संख्या 4771/4770, 4769/2302 एवं 4772/4770 है, कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, किस्म नहरी, प्रार्थी के पिता एवं विपक्षी संख्या 1 के ससुर स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक द्वारा विपक्षी संख्या 1 के नाम क्रयशुदा व स्व–अर्जित संपत्ति है। उक्त संपत्ति स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा दिनांक 10.07.2010 को श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्री नत्थूलाल अग्रवाल से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विपक्षी संख्या 1 के नाम बेनामी रूप से अर्जित की गई थी। स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी स्व–अर्जित आय से परिवार के सदस्यों के

नाम समय–समय पर विभिन्न संपत्तियां अर्जित की गई थीं और उक्त संपत्ति भी उन्हीं संपत्तियों में से एक है। स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक के समस्त परिजनों द्वारा समय–समय पर यह स्वीकार किया गया है कि उक्त संपत्ति सहित विभिन्न संपत्तियां स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी स्व–अर्जित आय से परिवार के अलग–अलग सदस्यों के नाम अर्जित की गई थीं। अतः उक्त संपत्ति वस्तुतः स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक की स्व–अर्जित संपत्ति थी, जिसे केवल विपक्षी संख्या 1 के नाम खरीदा गया था।

2.2 स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक ने स्वस्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था में दिनांक 31.10.2020 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत पत्र निष्पादित किया। उक्त वसीयत पत्र का निष्पादन साक्षीगण अभिषेक कुमार व्यास एवं राकेश भट्ट की उपस्थिति में किया गया तथा उसे श्री हिमांशु ओझा, नोटरी पब्लिक, भीलवाड़ा, रजिस्ट्रेशन संख्या 13979 द्वारा अनुप्रमाणित किया गया। उक्त वसीयत पत्र में वर्णित संपत्तियों के अतिरिक्त, वसीयत पत्र के पृष्ठ संख्या 10 के पैरा संख्या 3 में स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक को प्रथम पक्ष एवं प्रार्थी को द्वितीय पक्ष रखते हुए विशेष रूप से निम्न उल्लेख किया गया है–

"सहवन से उक्त वसीयत पत्र में कोई प्रथम पक्ष के हक अधिकार की जायदाद वर्णित करने से रह गई हो, तो संपूर्ण जायदाद जिसका प्रथम पक्ष मालिक होकर उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को वसीयत करता है। द्वितीय पक्ष के 100 वर्ष पूरे होने पर उपरोक्त वसीयत पत्र के आधार पर सभी जायदाद का कब्जा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं द्वितीय पक्ष को वह सभी हक अधिकार प्राप्त होंगे, जो प्रथम पक्ष में निहित हैं, एवं प्रथम पक्ष के किसी भी पुत्र या अन्य वारिसान को कोई अधिकार द्वितीय पक्ष के उपरोक्त सभी जायदाद के स्वामित्व एवं मालिक होने के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त करने का नहीं होगा। द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी जायदाद स्वतंत्र रूप से बिना किसी आपत्ति के उपयोग उपभोग कर सकेगा।"

2.3 आगे यह भी अंकित किया गया है कि स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक का निधन दिनांक 19.03.2021 को हो चुका है। अतः उनकी निष्पादित वसीयत के

अनुसार अनुसूची संख्या 2 में वर्णित संपत्ति के समस्त हक एवं अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हुए। विपक्षी संख्या 1 को उक्त कृषि भूमि में स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक के जीवनकाल में भी कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं था और उनके निधन के पश्चात भी विपक्षी संख्या 1 का उक्त संपत्ति में कोई हक या अधिकार नहीं है। स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक ने अपने जीवनकाल में निष्पादित विभिन्न दस्तावेजों एवं प्रपत्रों, यथा भरण–पोषण याचिका दिनांक 03.03.2015 में प्रस्तुत शपथपत्र, श्रीमान उपखंड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत जवाब, परिवाद प्रकरण संख्या 62/2017 दिनांक 15.09.2017, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 89 के अंतर्गत घोषणा, इंद्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद दिनांक 13.02.2020 को श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपने समस्त परिजनों की जानकारी में समय–समय पर यह घोषित किया था कि विभिन्न संपत्तियां उन्होंने स्वयं अपनी स्व–अर्जित आय से परिवारजनों के नाम बेनामी रूप से अर्जित की थीं। उक्त संपत्तियों को विक्रय, हस्तांतरित अथवा उन पर किसी प्रकार का भार सृजित करने का कोई अधिकार विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 27.12.2019 को कपटपूर्वक एवं छलपूर्वक विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में उक्त कृषि भूमि के एक भाग, अर्थात् एक बीघा, वर्तमान आराजी संख्या 4771/4770, को ₹32,50,000/– में विक्रय करने का विक्रय पत्र निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 2 ने अपने नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण/प्रविष्टि भी करवा ली।

2.4 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 मिलकर प्रार्थी के अधिकार एवं हित की उक्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने तथा उसे आगे हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 3 एवं 4 स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक के पुत्र हैं तथा विपक्षी संख्या 5 एवं 6 उनकी पुत्रवधुएं हैं। स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद पारीक द्वारा इन विपक्षीगण के नाम पर भी विभिन्न संपत्तियां अपनी स्व–अर्जित आय से बेनामी रूप से अर्जित की गई थीं। इसी कारण उक्त विपक्षीगण को भी आवश्यक पक्षकार के रूप में प्रकरण में सम्मिलित किया गया है।

2.5 प्रार्थी द्वारा आगे यह भी अंकित किया गया है कि विपक्षी संख्या 1 एवं 2 तथा उनके प्रतिनिधिगण गत लगभग 15 दिनों से बार–बार आपस में मिलकर प्रार्थी को धमकी दे रहे हैं कि वे उक्त विक्रय पत्र की आड़ में वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे। प्रार्थी के अनुसार, प्रथम दृष्ट्या उसका मामला मजबूत है तथा सुविधा का संतुलन भी उसके पक्ष में है। यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को वादग्रस्त संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है तथा उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित अथवा विक्रय कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को अपूरणीय एवं असहनीय क्षति होगी तथा अनावश्यक एवं बहुल मुकदमेबाजी उत्पन्न होगी।

2.6 अतः प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जाए कि विपक्षीगण प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी की भूमि के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट अथवा व्यवधान उत्पन्न न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति से करवाएं; वादग्रस्त आराजी की भूमि को किसी भी प्रकार से विक्रय, हस्तांतरित अथवा भारग्रस्त न करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसा करवाएं; तथा प्रार्थी को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल न करें।

3.1 **विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब** प्रस्तुत करते हुए प्रारंभिक आपत्तियों में उल्लेख किया गया कि प्रार्थी का वाद स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा निष्पादित कथित वसीयत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है। वसीयत के संबंध में घोषणा के दावे के बावजूद वर्तमान वाद खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी/वादी द्वारा कथित विक्रय पत्र को अवैध एवं शून्य घोषित किए जाने की राहत मांगी गई है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्ण न्याय शुल्क भी अदा नहीं किया गया है, जबकि उक्त विक्रय पत्र ₹32,50,000/– की राशि का है। **मदवार जवाब में** उल्लेख किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में जिस प्रकार तथ्य वर्णित किए गए हैं, वे अस्वीकार हैं। स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा उक्त भूमि क्रय किए जाने संबंधी तथ्य मिथ्या एवं अस्वीकार हैं। वास्तविकता यह है कि विपक्षी संख्या 1 श्रीमती चंदा देवी ने ग्राम सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि

आराजी संख्या 2302, रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, तत्कालीन खातेदार श्रीमती मुन्नी देवी अग्रवाल से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.12.2015 को क्रय की तथा उसका वास्तविक कब्जा प्राप्त किया। उक्त विक्रय की प्रतिफल राशि ₹2,40,000/– जरिये चेक श्रीमती मुन्नी देवी को भुगतान की गई। विपक्षी संख्या 1 के नाम बेनामी रूप से संपत्ति क्रय किए जाने का तथ्य मिथ्या है, कारण कि विक्रय प्रतिफल की संपूर्ण राशि विपक्षी संख्या 1 श्रीमती चंदा देवी द्वारा स्वयं अपने बैंक खाते से जरिये चेक अदा की गई थी। अतः उक्त संपत्ति विपक्षी संख्या 1 की स्वयं की अर्जित भूमि है।

3.2 उक्त वर्णित आराजी संख्या 2302 के नवीन बंदोबस्ती कार्यवाही के दौरान जो नवीन आराजी नंबर कायम किए गए हैं, उनका उल्लेख प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में किया गया है। उक्त भूमि में से आराजी संख्या 2302 में से एक बीघा भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 27.12.2019 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख किया गया तथा विक्रय की दिनांक से ही विक्रयशुदा भूमि का अधिपत्य विपक्षी संख्या 2 को सुपुर्द कर दिया गया, जो मौके पर काबिज होकर उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है।

3.3 यह भी उल्लेख किया गया कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक एवं वर्तमान प्रार्थी तथा विपक्षी संख्या 1, 3, 4, 5 एवं 6 संयुक्त एवं अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य रहे हैं तथा उनका संयुक्त व्यवसाय भी रहा है। संयुक्त परिवार के सदस्यों, क्रमशः भगवान प्रसाद, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, रवीन्द्र कुमार आदि द्वारा अर्जित क्रयशुदा जायदाद आदि का पारिवारिक बंदोबस्त स्वर्गीय भगवान प्रसाद जी के जीवनकाल में सभी सदस्यों के साथ मिल–बैठकर कर लिया गया था। प्रार्थी द्वारा वसीयत के संबंध में काल्पनिक, मिथ्या एवं आधारहीन तथ्य वर्णित किए गए हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान प्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में ही संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियों का बंदोबस्त कर दिया गया था और सभी सदस्य अपने–अपने हिस्से में काबिज होकर उनका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं।

3.4 यह भी उल्लेख किया गया कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 29.06.2019 को विपक्षी संख्या 3/उत्तरदाता अशोक कुमार

के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था, जिसमें पारिवारिक बंदोबस्त दिनांक 01.12.2010 में वर्णित वे जायदादें, जो अशोक कुमार के हिस्से में रखी गई थीं, उनका उल्लेख किया गया है। स्वर्गीय भगवान प्रसाद जी ने भरण–पोषण अधिकारी, एसडीएम, भीलवाड़ा के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2015, भगवान प्रसाद बनाम रवीन्द्र कुमार वगैरह, बाबत भरण–पोषण प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रार्थी राजेंद्र कुमार के संबंध में निम्न उल्लेख किया गया है—

"विपक्षी संख्या 2 के पुत्र नरेश कुमार की शादी विपक्षी संख्या 2 ने अपनी जिद्द व जबरदस्ती से करवाई, जिसमें प्रार्थी का विरोध था, लेकिन विपक्षी संख्या 2 नहीं माना, जो बाद में जाकर नरेश का उसकी पत्नी से तलाक हुआ, जिसमें भी विपक्षी संख्या 2 का प्रार्थी ने ऐसा नहीं करने की सलाह दी, लेकिन विपक्षी संख्या 2 नहीं माना, व तलाक आपसी सहमति से दिये जाने की शर्त अनुसार प्रार्थी बाजार भाव से ब्याज दर पर 9,51,000 रुपये (अक्षरे 9 लाख 51 हजार रुपये) देने हेतु लाया, और विपक्षी संख्या 2 को दिए, जो कि तत्समय विपक्षी संख्या 2 ने पुनः में ब्याज लौटाने का वादा प्रार्थी को किया था, लेकिन विपक्षी संख्या 2 ने उक्त रुपया प्रार्थी को देने से इंकार कर रहा है, और प्रार्थी को उक्त रुपये पर लगने वाला ब्याज भुगतना पड़ रहा है, व विपक्षीगण इस प्रकार आए दिन क्रूरता प्रार्थी के साथ करते हैं।"

3.5 उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी राजेंद्र कुमार की ओर से किए जा रहे कथित क्रूरतापूर्ण व्यवहार से स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक त्रस्त एवं परेशान थे। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया जाना पूर्णतः मिथ्या एवं असंभव है। विपक्षीगण का कथन है कि कथित वसीयत प्रार्थी द्वारा कूटरचित एवं फर्जी रूप से तैयार की गई है तथा उसमें भगवान प्रसाद पारीक के स्थान पर उनके हस्ताक्षर आदि कूटरचित किए गए हैं। कथित वसीयत को निरस्त कराने के लिए विपक्षी संख्या 3 अशोक कुमार ने न्यायालय में वाद संख्या 22/2022, **अशोक कुमार बनाम राजेंद्र कुमार व अन्य**, प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थी राजेंद्र कुमार को नोटिस प्राप्त हो चुका है तथा उसने उक्त वाद में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। उक्त तथ्य से पूर्णतः अवगत होते हुए भी, जबकि कथित वसीयत दिनांक 31.10.2020 के निरस्तीकरण

की कार्यवाही न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, प्रार्थी ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है, जो उसके कपटपूर्ण आचरण को दर्शाता है।

3.6 यह भी उल्लेख किया गया है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक अपने जीवनकाल में मृत्यु पर्यंत विपक्षी संख्या 1 एवं 3 के साथ ही रहे तथा उनकी सेवा–सुश्रूषा भी विपक्षीगण द्वारा ही की गई। दिनांक 01.12.2010 को पारिवारिक बंदोबस्त निष्पादित किया गया था। उक्त पारिवारिक बंदोबस्त एक से अधिक मूल स्टाम्पों पर, अर्थात् चार मूल स्टाम्पों पर, स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक, प्रार्थी राजेंद्र कुमार, रवीन्द्र कुमार एवं अशोक कुमार के लिए चार अलग–अलग मूल सेटों में तैयार किया गया था। उक्त दस्तावेजों पर प्रार्थी, विपक्षी संख्या 1, विपक्षी संख्या 3, विपक्षी संख्या 4, 5 एवं 6 तथा उनके पुत्रों एवं पत्नियों द्वारा हस्ताक्षर कर उन्हें निष्पादित किया गया था। चारों मूल सेट क्रमशः प्रार्थी राजेंद्र कुमार, विपक्षी अशोक कुमार एवं रवीन्द्र कुमार आदि को अलग–अलग सौंप दिए गए थे।

3.7 उक्त पारिवारिक बंदोबस्त में आराजी संख्या 2302 यथावत विपक्षी संख्या 3 अशोक कुमार के हिस्से में रखी गई थी। अतः जब उक्त भूमि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक के हिस्से में रही ही नहीं थी, तो उसके संबंध में उनके द्वारा वसीयत किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। विपक्षी संख्या 1 को अपने अधिकार एवं स्वामित्व वाली संपत्ति का उपयोग, उपभोग, विक्रय, अंतरण अथवा अन्य प्रकार से व्यवहार करने का अधिकार है, जिसे रोका नहीं जा सकता। कथित वसीयत में आराजी संख्या 2302 का कहीं भी उल्लेख नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक का उक्त संपत्ति पर कोई हक या अधिकार नहीं था। पारिवारिक बंदोबस्त दिनांक 01.12.2010 में वर्णित पूर्व आराजी संख्या 2301, 2302, 2303 एवं 2304 विपक्षी संख्या 3 अशोक कुमार के हिस्से में यथावत रखी गई थीं। पक्षकारों के स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक के साथ संबंधों के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 की स्व–अर्जित भूमि है। वास्तविक स्वामी के विरुद्ध किसी प्रकार

की निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। उक्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2019–73 से 2073 में विपक्षी संख्या 2 के नाम अभिलिखित है।

3.8 अतः विपक्षीगण के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है, न सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और न ही उसे कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जे–खर्चे सहित खारिज किया जाए।

4.1 **विपक्षी संख्या 4 एवं 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब** में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार नहीं करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्य सर्वथा मिथ्या एवं गलत हैं। विवादित आराजी किसी भी प्रकार की बेनामी संपत्ति नहीं रही है। संपूर्ण जायदाद का स्वर्गीय भगवान प्रसाद, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार एवं रवीन्द्र कुमार के मध्य पारिवारिक बंदोबस्त दिनांक 11.12.2011 को निष्पादन हो चुका है। उक्त पारिवारिक बंदोबस्त के आधार पर विपक्षी संख्या 4 द्वारा नियमित वाद संख्या 136/2019 प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश संख्या 3, भीलवाड़ा के समक्ष लंबित होकर विचाराधीन है, जिसमें स्वयं प्रार्थी एवं स्वर्गीय भगवान प्रसाद विपक्षीगण हैं।

4.2 प्रार्थी के पक्ष में स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा वसीयत निष्पादित किए जाने का तथ्य भी सर्वथा गलत एवं झूठा है। कथित वसीयत फर्जी एवं कूटरचित है। कथित वसीयत में विवादित आराजी का कहीं भी उल्लेख नहीं है, फिर भी प्रार्थी द्वारा लालचवश मिथ्या आधारों पर वर्तमान प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया गया है। समस्त संपत्तियों का पक्षकारों के मध्य पूर्व में ही विभाजन होकर पारिवारिक बंदोबस्त निष्पादित किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्यों को प्रार्थना पत्र में अंकित करने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता विपक्षीगण को अनावश्यक रूप से मुकदमे में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के पक्ष में न तो प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है, न सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और न ही उसे किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथनों में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है। पूर्वोक्त कथनों को दोहराते हुए अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

5.1 **विपक्षी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब** में विपक्षी संख्या 1 एवं 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को अधिकांशतः दोहराया गया तथा यह कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं अपने धन से विपक्षी संख्या 1 से दिनांक 27.12.2019 को उक्त भूमि क्रय की थी, उसका प्रतिफल अदा किया तथा विक्रय के पश्चात भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर स्वयं उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज की जावे।

6.1 विपक्षी संख्या 1 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जबाब का जबाबुल जबाब पेश कर वादगत भूमि को मुन्नी देवी अग्रवाल से विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में क्रय करते समय प्रतिफल राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 1 चंदा देवी उर्फ चंदा पारीक द्वारा किये जाने के तथ्य को अस्वीकार किया गया। उनका कथन है कि वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त क्रय हेतु आवश्यक प्रतिफल राशि ₹2,40,000/– तथा अपेक्षित मुद्रांक शुल्क की राशि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपने स्वामित्व के व्यवसायों, अर्थात् पारीक लघु उद्योग संस्थान, दूध सागर फीड इंडस्ट्रीज एवं पारीक डेयरी, से विपक्षी संख्या 1 चंदा उर्फ चंदा देवी पारीक को उपलब्ध कराई गई थी। विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु आवश्यक मुद्रांक शुल्क की राशि में से ₹19,500/– विपक्षी संख्या 1 को दिनांक 05.07.2000 के वाउचर के माध्यम दूध सागर फीड इंडस्ट्रीज से तथा ₹10,500/– राशि पारीक लघु उद्योग संस्थान से उपलब्ध कराई गई थी। विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु देय प्रतिफल राशि में से ₹2,32,000/– स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा दिनांक 10.07.2000 को चेक संख्या 575394 के माध्यम से तथा शेष ₹8,000/– चंदा देवी को भुगतान किए गए। जिसका उल्लेख संबंधित बही–खातों में व वाउचरों में भी किया गया है।

6.2 अतः प्रार्थीगण के अनुसार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 2302, रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, की भूमि वास्तव में स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी पुत्रवधू, प्रार्थी संख्या 1 श्रीमती चंदा उर्फ चंदा देवी पारीक के नाम से क्रय कराई गई थी। श्रीमती चंदा देवी पारीक के नाम से स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से एक अन्य आराजी संख्या 2305/1, रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि भी दिनांक 10.10.2000 को निष्पादित तथा दिनांक 12.12.2000 को पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से क्रय की थी। दोनों विक्रयपत्रों के संबंध में कम स्टाम्प ड्यूटी कम अदा किए जाने के कारण स्टाम्प प्रकरण दर्ज किए गए थे। वाद में वर्णित आराजी संख्या 2302 से संबंधित विक्रयपत्र में ₹21,700/– की राशि दिनांक 23.03.2002 को वसूल किए जाने हेतु निर्धारित की गई थी, जबकि आराजी संख्या 2305/1 से संबंधित विक्रयपत्र के संबंध में ₹34,000/– की राशि दिनांक 23.03.2002 को वसूल किए जाने हेतु निर्धारित की गई थी। इस प्रकार कुल ₹55,700/– की राशि का भुगतान स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपने स्वामित्व के व्यवसाय दूध सागर फीड इंडस्ट्रीज के भारतीय स्टेट बैंक में संचालित बैंक खाते से चेक संख्या 129182, दिनांक 15.04.2002 के माध्यम से किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी संख्या 1 श्रीमती चंदा देवी उर्फ चंदा पारीक के नाम से क्रय की गई उक्त भूमि वास्तव में स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित आय से क्रय की गई थी।

6.3 यह भी उल्लेख किया गया कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए राजस्व वाद में विपक्षी संख्या 1 एवं 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 15.04.2022 में भी विपक्षीगण द्वारा आराजी संख्या 2302, रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि को संयुक्त परिवार की आय से विपक्षी संख्या 1 श्रीमती चंदा देवी के नाम से नवंबर, 2000 में क्रय किए जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त कथन के आधार पर भी विपक्षीगण उनके पूर्व कथन से आबद्ध/विबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक ने अपनी स्वयं की अर्जित आय से समय–समय पर अपने परिजनों के नाम से क्रय की गई संपत्तियों के संबंध में दिनांक 25.12.2019 को दैनिक समाचार पत्र *राजस्थान पत्रिका*, भीलवाड़ा

संस्करण में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित करवाई थी, जिसमें ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा की आराजी संख्या 2302, 2303, 2305/2, 2304, 2362, 2363, 2363/1, 2364, 4487/2364,4644/2364 तथा 2305/1 एवं ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का अगरपुरा की आराजी संख्या 13, 14, 15, 16 एवं 24 को स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित आय से अपने परिजनों, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार तथा उनकी पत्नियों चंदा देवी, सरोज देवी एवं रेनू देवी के नाम से अलग–अलग समय पर क्रय कर उनका अधिपत्य प्राप्त किए जाने के संबंध में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाई गई थी।

6.4 उक्त सार्वजनिक सूचना में वर्णित तथ्यों तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपने स्वयं के आय–स्रोतों से अपने परिजनों के नाम पर विभिन्न संपत्तियां क्रय की गई थीं। अतः वादगत भूमि, जो विपक्षी संख्या 1 के नाम से क्रय की गई थी, उसके संबंध में भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त भूमि का क्रय स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा अपनी स्वयं की अर्जित आय से विपक्षी संख्या 1 के नाम पर कराया गया था।

बहस

7– अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8 बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के तीनों आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। साथ ही कथित बंटवारानामा के अपंजिकृत होने का तर्क दिया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र में चाही गई अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किए जाने का निवेदन किया गया।

9 इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया इसलिए पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है। अन्य

तर्क दिया कि बेनामी संव्यवहार विधि द्वारा वर्जित है। जिसके आधार पर प्रार्थी को किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अंत में प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

10 इसी प्रकार विपक्षी संख्या 4 एवं 6 की ओर से भी उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

विचारणीय बिन्दु–

11 बहस के दौरान प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार किया। वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय को मुख्यतः निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर विचार करना है—

(i) प्रथम दृष्टया मामला,

(ii) सुविधा का संतुलन तथा

(iii) अपूरणीय क्षति।

विनिश्चय–

12 उक्त तीनों बिंदुओं पर मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामला

12.1 जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा अपनी स्व–अर्जित आय से प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमियां क्रय की गई थीं तथा उक्त संपत्तियों का मूल्य भी स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा ही अदा किया गया था। यह भी कथन किया गया है कि उक्त संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां भी भगवान प्रसाद द्वारा अपनी स्व–अर्जित संपत्ति से अपने परिवार के सदस्यों के नाम बेनामी रूप से क्रय की गई थीं। प्रार्थी के अनुसार, पारिवारिक सदस्य होने के कारण विवादित संपत्ति विपक्षी संख्या 1

के नाम क्रय की गई थी, जबकि उसका वास्तविक स्वामित्व स्वर्गीय भगवान प्रसाद में ही निहित था तथा वे अपने जीवनकाल तक उक्त संपत्ति का उपयोग एवं उपभोग करते रहे।

12.2 प्रार्थी का आगे कथन है कि मद संख्या 2 में वर्णित संपत्तियों में से खसरा संख्या 4471/4470 के संबंध में स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी, जिसे गवाहों की उपस्थिति में नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था। भगवान प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थी स्वयं को खसरा संख्या 4471/4470 का स्वामी एवं कब्जेदार बता रहा है। प्रार्थी के अनुसार, चूंकि उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज थी, इसलिए विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में एक बीघा भूमि ₹32,50,000/– में विक्रय करने हेतु दिनांक 27.12.2019 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या 1 को उक्त संपत्ति के विक्रय का कोई अधिकार अथवा वैध स्वत्व प्राप्त नहीं था।

12.3 इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि विवादित संपत्ति किसी प्रकार की बेनामी संपत्ति नहीं थी न ही उसे स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा क्रय किया गया था। खसरा संख्या 471/4770 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा स्वयं ₹2,40,000/– का प्रतिफल अदा करके श्रीमती मुन्नी देवी से क्रय किया गया था तथा उक्त संपत्ति के विक्रय का पूर्ण अधिकार विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथित वसीयत भी फर्जी एवं कूटरचित है।

12.4 विपक्षीगण का यह भी कथन है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद अपने जीवनकाल में विपक्षी संख्या 1 एवं 3 के साथ ही रहे थे तथा उनकी सेवा–सुश्रूषा भी विपक्षी संख्या 1 एवं 3 द्वारा ही की गई थी। प्रार्थी द्वारा स्वर्गीय भगवान प्रसाद को सदैव तंग एवं परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी कारण स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा भरण–पोषण हेतु सक्षम भरण–पोषण अधिकारी/एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थी द्वारा उनके साथ किए जा रहे कथित अत्याचारों का उल्लेख किया गया था।

12.5 इस प्रकार, दोनों पक्षकारों द्वारा अपने–अपने पक्ष के समर्थन में परस्पर विरोधी कथन प्रस्तुत किए गए हैं। पत्रावली पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित

विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध है। उक्त विक्रय पत्र के अनुसार, श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा पूर्व आराजी संख्या 2302, रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, श्रीमती चंदा देवी अर्थात विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ₹2,40,000/– में विक्रय की गई थी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10.07.2019 को निष्पादित हुआ तथा उप–पंजीयक, भीलवाड़ा के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत है। विक्रय पत्र में विक्रय राशि का भुगतान चेक संख्या 64954 के माध्यम से प्राप्त किया जाना भी अंकित है।

12.6 इसके पश्चात विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में से एक बीघा भूमि विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 27.12.2019 को ₹32,50,000/– के प्रतिफल पर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय की गई तथा उक्त विक्रय पत्र भी उप–पंजीयक, भीलवाड़ा के कार्यालय में पंजीकृत कराया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित कथित वसीयत की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। उक्त वसीयत में ग्राम नई इरास, पटवार क्षेत्र सुवाणा, तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमियों का सारणीबद्ध विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तित भूमि का भी वसीयत में उल्लेख किया गया है। तथापि, विवादित संपत्ति का वसीयत में कोई उल्लेख नहीं है।

12.7 प्रार्थी ने विवादित संपत्ति पर वसीयत के आधार पर अपना अधिकार होना बताया है कि वसीयत में यह सामान्य उल्लेख किया गया है कि वसीयत में वर्णित संपत्तियों के अतिरिक्त यदि प्रथम पक्ष के हक की कोई अन्य जायदाद वर्णित होने से रह गई हो, तो वह भी द्वितीय पक्ष अर्थात प्रार्थी को वसीयत की जाती है। प्रार्थी द्वारा अपने अभिवचनों तथा बहस के दौरान यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा भरण–पोषण अधिकारी के समक्ष भरण–पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम उनकी स्व–अर्जित आय से बेनामी संपत्तियां क्रय की गई थीं। इस संबंध में स्वर्गीय भगवान प्रसाद पारीक द्वारा प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 के विरुद्ध माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 एवं 23 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र की प्रति

पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र में स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा प्रार्थी सहित अन्य अप्रार्थीगण द्वारा उनके साथ कथित रूप से किए गए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा स्वर्गीय भगवान प्रसाद से पारिवारिक बंदोबस्त दस्तावेज लिखवाए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

12.8 दूसरी ओर अप्रार्थीगण का यह जवाब है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद के जीवनकाल में ही समस्त संपत्तियों का पारिवारिक बंटवारा हो चुका था तथा इसी संबंध में समस्त सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 01.01.2021 को ₹100/- के स्टाम्प पर पारिवारिक बंदोबस्त/याददाश्त लिखी गई थी, जिस पर संबंधित पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। उक्त पारिवारिक बंदोबस्त की प्रति भी प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है।

12.9 अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा कथित वसीयत को चुनौती दिए जाने के संबंध में भी कथन किया गया है। इस संबंध में जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए वसीयतनामा दिनांक 31.10.2020 के निरस्तीकरण से संबंधित वादपत्र की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। इससे यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि उक्त वसीयत की वैधता एवं प्रामाणिकता प्रारंभ से ही विवादित रही है।

12.10 इसके अतिरिक्त, प्रार्थी द्वारा स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा प्रार्थी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 92 एवं 108 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए वाद के निर्णय की प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है। हालांकि, उक्त वाद का निस्तारण/अबेट किया जाना बताया गया है।

12.11 विपक्षी संख्या 1 द्वारा विवादित संपत्ति को श्रीमती मुन्नी देवी से स्वयं के द्वारा क्रय किए जाने के संबंध में किए गए कथन के प्रत्युत्तर में प्रार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विक्रय प्रतिफल की राशि वास्तव में स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा उनके डेयरी व्यवसाय से अदा की गई थी। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा विभिन्न दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से पारीक डेयरी लघु उद्योग संस्थान के भुगतान वाउचर में दिनांक 05.07.2020 को श्रीमती चंदा देवी को भुगतान किए जाने का उल्लेख दिखाई देता है। इसी प्रकार भूमि की

रजिस्ट्री के संबंध में दिनांक 11.07.2020 को ₹19,950/– तथा स्टाम्प क्रय किए जाने के लिए दिनांक 05.07.2020 को ₹19,500/– दिए जाने का उल्लेख है। ₹2,32,000/– की राशि श्रीमती चंदा देवी के नाम जमा किए जाने की रसीद की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त, बैंक स्टेटमेंट एवं बही–खाते की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें श्रीमती चंदा देवी पारीक को ₹19,950/– तथा ₹55,700/– के भुगतान/जमा का उल्लेख बताया गया है।

12.13 परन्तु प्रार्थी द्वारा विवादित संपत्ति पर अपना अधिकार मुख्यतः स्वर्गीय भगवान प्रसाद द्वारा कथित रूप से निष्पादित वसीयत के आधार पर ही जताया गया है। इसके विपरीत, अप्रार्थीगण की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वर्गीय भगवान प्रसाद के जीवनकाल में ही पारिवारिक बंटवारा हो चुका था और उसके पश्चात प्रत्येक पक्षकार को संबंधित संपत्तियों पर पृथक अधिकार प्राप्त हो गया था। यद्यपि पारीवारिक बंटवारा के अपँजिकृत होने का तर्क प्रार्थी की तरफ से दिया गया है परन्तु प्रस्तुत पारीवारिक बंटवारानामा लिखने की दिनांक से एक पूर्व ही हो जाना व उसके अनुसरण में अपने – अपने हिस्से पर काबिज होने का उल्लेख है। प्रथम दृष्टया मौखिक बंटवारा होने के बाद उसकी क्रियान्विति हो जाने के बाद उसे लिखित के रुप में लिखा गया है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उसके पँजिकृत होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उक्त तथ्य को साक्ष्य के समय मूलवाद में देखा जाना है।

12.14 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से आई तथा तत्पश्चात विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कर उसे प्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय किया गया। उक्त विक्रय के आधार पर राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थी संख्या 2 का नाम दर्ज होना बताया गया है। इस प्रकार, वर्तमान अभिलेखीय स्थिति में प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार अथवा दर्ज स्वामी नहीं है।

12.15 यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि प्रार्थी द्वारा मूल वाद में उक्त विक्रय पत्र को कथित वसीयत के आधार पर शून्य घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई

है, जबकि वसीयत में वादग्रस्त खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है। उक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध विनिश्चित किया जाता है।

सुविधा का संतुलन व अपर्णीय क्षति–

13 जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है, चँकि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। कथित वसीयत में वादग्रस्त भूमि का उल्लेख नहीं है। यद्यपि प्रार्थी ने उस पर कब्जे व उपयोग उपभोग होने का कथन किया है, परन्तु इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसे किसी प्रकार की असुविधा की संभावना नहीं है, न किसी प्रकार की क्षति की संभावना नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से ये बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं हैं।

14 चूँकि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

15 फलस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश XXXIX नियम 1व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाता है।

(पवन कुमार काला)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–3,
भीलवाडा

16 निर्णय आज दिनांक **13–08–2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार काला)
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–3,
भीलवाडा